FORM NO. III

AAP-A
Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम

राकेश बनाम कानाराम

212 RTAct. 187/2018 सन्

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप. अप्रार्थी स.। की तरफ से जवाब पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया। ~~पत्रावली~~ जिसकी एक प्रति प्रार्थी वकील को दी गयी। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 30/9/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त / अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तवा होकर दिनांक 15/10/2022 को पेश हो।	
...10/2022	पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त / अवकाश पर होने से पत्रावली ईल्तवा होकर दिनांक 8.11.2022 को पेश हो।	प्राथमिकी सामने [illegible]
...11.2022	पत्रावली पेश हुई। वकुलान उपस्थित। उभय पक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रार्थीगण व अप्रार्थी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। अप्रार्थी उक्त विवादग्रस्त सहायक कलेक्टर एव उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	भूमि में प्राथमिक डिक्री मांगना हेतु रखी है। जब मूल वाद में बादि मौहर बढ़ बा.उ.प्र.ड.स विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होगा तो सभी को राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि प्राप्त हो पायेगी व स्थिती स्पष्ट होगी। अत: उक्त 212 RT ACT 1955 प्रार्थना-पत्र में एक सहखातेदार को दूसरे सहखातेदार के विरुद्ध T.I. जारी करना न्यायालय उचित नहीं समझता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT ACT 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।
	लक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी